

अध्याय-II
बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-II

बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) द्वारा प्रशासित किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित कर कानूनों तथा नियमों के प्रशासन के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षक तथा अन्य संबद्ध कर्मचारी हैं।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर निर्धारणों, मनोरंजन कर, बहुउद्देशीय बैरियरों, विलास कर तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित 2016-17 के दौरान 34 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 290 मामलों में ₹63.48 करोड़ से अंतर्विष्ट कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई जो कि निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	₹ करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का अवनिर्धारण	19	18.87
2.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों 'सी' तथा 'एफ' की स्वीकृति	26	3.69
3.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	41	15.34
4.	निवेश कर क्रेडिट का अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन	59	5.16
5.	कर की दर का गलत अनुप्रयोग	26	8.36
6.	अन्य अनियमितताएं	72	2.03
योग		243	53.45
अन्य कर एवं गैर-कर			
1.	मनोरंजन कर	19	9.20
2.	बहुउद्देशीय बैरियर्स	20	0.83
3.	विलास कर	8	
योग		47	10.03
सकल योग		290	63.48

विभाग ने ₹1.42 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 74 मामलों को वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकार किया, जिसमें से 59 मामलों में ₹63.49 लाख की राशि वसूल की गई थी जोकि विगत वर्षों से संबंधित थी।

₹27.37 करोड़ से अंतर्विष्ट कुछ आवश्यक मामलों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में की गई है।

2.3 'हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना (हिमटास) का क्रियान्वयन' पर लेखापरीक्षा

आबकारी एवं कराधान विभाग ने जून 2010 में ₹20.19 करोड़ के वित्तीय व्यय से अंतर्ग्रस्त कर कानूनों की अनुपालना में सुधार, संबद्ध कर प्रशासन को स्वचालित करने तथा कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के साथ इन्टरफेस हेतु मूल्य वर्धित कर तथा संबद्ध प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ किया। विभाग ने अगस्त 2011 से जनवरी 2015 के मध्य वैब-पोर्टल सहित 23 माड्यूलों को प्रारम्भ किया। तथापि, मूल्य वर्धित कर निर्धारणों का दीर्घ लम्बन के मद्देनजर बैकएंड्र माड्यूल का प्रयोग कम था तथा प्रक्रियाओं को अब भी मैनुअल तरीके से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गो-लाइव, आवश्यकता विनिर्देश प्रणाली (एस.आर.एस.), उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यू.आर.एस.), सॉफ्टवेयर डिजायन दस्तावेज (एस.डी.डी.) को हस्ताक्षर करना, लैगैसी डाटा कनवर्जन तथा अंतिम स्वीकृति परीक्षण भी लम्बित थे। 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. की शुरुआत पर जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित 'क्रियान्वयन माडल-2' के प्रयोग के लिए विभाग द्वारा विकल्प के मद्देनजर परियोजना की स्थापना पर ₹20.19 करोड़ का व्यय परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में निष्फल रहा।

2.3.1 परिचय

राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बिक्री एवं व्यापार पर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर है जो आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 क्रियान्वित किया था। प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर विभाग के प्रशासनिक विभागाध्यक्ष है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभागाध्यक्ष होता है जिसके पास पर्यवेक्षण एवं प्रशासन के अधिकार होते हैं तथा जिसको दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान राजस्व शीर्ष "0040-बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर" के अंतर्गत संग्रहित किये गए राजस्व का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

तालिका-2.2 मूल्य वर्धित कर तथा कुल कर प्राप्तियों का विवरण

वर्ष	मूल्य वर्धित कर की प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियां	₹करोड़ में
			कुल कर प्राप्तियों का मूल्य वर्धित कर प्रतिशत
2013-14	3,141.10	5,120.91	61
2014-15	3,660.57	5,940.16	62
2015-16	3,992.99	6,695.81	60

भारत सरकार ने राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से राज्य में कर कानूनों की अनुपालना में सुधार, संबद्ध कर प्रशासन प्रक्रियाओं के स्वचालन हेतु विस्तृत सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्र के क्रियान्वयन, टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. के साथ इन्टरफेस, लैगैसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा का स्थानान्तरण, डिजिटाइजेशन, नवीन तंत्र को पेपर प्रलेखों का अन्तरण तथा मजबूत एम.आई.एस. उपकरणों का निर्माण इत्यादि के लक्ष्य के साथ मूल्य वर्धित कर तथा संबद्ध प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण (जून 2010) प्रारम्भ किया। हिमाचल प्रदेश कर प्रशासन प्रणाली तंत्र (हिमटास) एक वैब आधारित इन्टरनेट एप्लीकेशन है जैसा कि अनुलग्नक-II में ब्यौरा दिया गया है।


विभाग ने 'क्रियान्वयन मॉडल-2' का चयन (दिसम्बर 2014) किया अर्थात जी.एस.टी.एन. की बैकएंड सेवाओं (निर्धारण, लेखापरीक्षा, रिफंड, वसूली, इत्यादि) का उपयोग करने के लिए जी.एस.टी.एन. बैकएण्ड मॉड्यूल का विकास करेगा। आगे, मूल्य वर्धित कर को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में डाला गया है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है।

2.3.2 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना का आरम्भ

अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की व्याख्या, क्रियान्वयन सहयोगी के चयन, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रतिष्ठान एवं प्रारम्भ के अनुश्रवण, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विकसित की गई एप्लीकेशन की समीक्षा और क्रियान्वयन सहयोगी की सेवाओं की निगरानी के लिए मैसर्ज प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.) का परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाताओं के रूप में (जून 2006) चयन किया गया था। परियोजना परामर्शदाता परियोजना रोलआउट के बाद चौबीस महीनों की अवधि के लिए चिन्हित मापने योग्य मापदंडों के अनुसार सम्पूर्ण क्रियात्मकता के लिए मॉड्यूलों एवं वैबपोर्टल के जांच प्रतिवेदन, त्रैमासिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एस.एल.ए.) निगरानी हेतु भी उत्तरदायी था।

मूल्य वर्धित कर कम्प्यूट्रीकरण हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (आर.एफ.पी.) 2006 में मंगवाया गया था तथापि संविदा अनुबंध अर्थात मास्टर सर्विसिज एग्रीमेंट (एम.एस.ए.) तथा सेवा स्तर अनुबंध (एस.एल.ए.) 7 जून 2010 को आबकारी आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग तथा क्रियान्वयन सहयोगी (टी.सी.एस.) के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी समस्त कार्यालय स्थलों पर अपेक्षित हार्डवेयर की डिलिवरी एवं प्रतिष्ठापन, विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार मूल्य वर्धित कर एप्लीकेशन एवं वैब पोर्टल के विकास एवं कस्टमाइजेशन, लैगैसी डाटा डिजिटाइजेशन और पांच वर्षों की अवधि के लिए डाटा केन्द्र के परिचालनों एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। समय-समय पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी.आई.सी.) जिसमें विभाग, परियोजना परामर्शदाता, क्रियान्वयन सहयोगी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.), एन.आई.सी. तथा सी.एम.सी. से सदस्य होते हैं, बनाई गई थी जिसकी मार्च 2011 से नवम्बर 2016 के दौरान हुई बैठकों के कार्यवृत्तों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ढांचा



¹ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

2.3.3 हिमटास एप्लीकेशन के अंतर्गत मॉड्यूल

राज्य में कर कानून की अनुपालना में सुधार की दृष्टि से मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथा सम्बद्ध प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना आरम्भ की गई थी लेकिन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न राजस्व शीर्षों के संबंध में अतिरिक्त मॉड्यूल भी परियोजना के भाग के रूप में प्रारम्भ किये गए थे। विभाग ने अगस्त 2011 तथा जनवरी 2015 के मध्य परियोजना के अंतर्गत वैब पोर्टल सहित 23 मॉड्यूल प्रारम्भ किये थे। 23 मॉड्यूलों में से 14 मॉड्यूल को करों से संबंधित जी.एस.टी.में सम्मिलित किया गया। मात्र नौ मॉड्यूल जो करों से संबंधित थे जी.एस.टी. में सम्मिलित नहीं किया गया था, प्रयोग करने योग्य थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.3 हिमटास के अंतर्गत मॉड्यूल का विवरण

जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित कर			जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किये कर		विविध
मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर	यात्री एवं माल कर	विलास कर	आबकारी	एम एण्ड टी.पी. ²	अन्य मॉड्यूल
1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण रिटर्न एवं भुगतान निर्धारण रिफंड वसूली अपील तथा संशोधन प्रवर्तन शास्ति 	<ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण रिटर्न एवं भुगतान सी.जी.सी. आर.³ पंजीकरण सी.जी.सी.आर. रिटर्न एवं भुगतान 	<ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण रिटर्न एवं भुगतान 	<ul style="list-style-type: none"> लाइसेंस माल को हटाना आबकारी विवरणी 	<ul style="list-style-type: none"> एम एण्ड टी.पी. लाइसेंस एम एण्ड टी.पी. माल को हटाना एम. एण्ड टी.पी. रिटर्न एवं भुगतान 	<ul style="list-style-type: none"> चैक-पोस्ट टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस. एस.एफ.एस.सी.
8 मॉड्यूल	4 मॉड्यूल	2 मॉड्यूल	3 मॉड्यूल	3 मॉड्यूल	3 मॉड्यूल

2.3.3.1 मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर/यात्री एवं माल कर/विलास कर मॉड्यूल

विभाग ने मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) के आठ मॉड्यूल आरम्भ किये जिनमें से पंजीकरण एवं रिटर्न/भुगतान मॉड्यूलों को छोड़कर शेष मॉड्यूल जिनमें निर्धारण तथा अन्य प्रक्रियाएँ अंतर्गस्त हैं, प्रयोग में नहीं थीं और पूर्व-कम्प्यूटरीकरण अवधि के निर्धारणों के बकायों का निपटान न किये जाने के कारण प्रचालन ऑफ़लाइन तरीके से किया जा रहा था। इसी प्रकार यात्री एवं माल कर तथा विलास कर मॉड्यूलों की प्रक्रियाएँ भी मैनुअली की जा रही थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि निर्धारणों के पुराने लम्बन के कारण बैंक कार्यालय की एप्लीकेशन निम्न थी। आगे, स्टॉफ की कमी के कारण कर निर्धारण कार्य धीमा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वचालन के लाभों की प्राप्ति के लिए निर्धारणों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया था और अधिकार बैंक एण्ड प्रचालन अब भी मैनुअली किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि 1 जुलाई 2017 से इन करों को जी.एस.टी. में डाला जा रहा है, इन मॉड्यूलों का लगभग बिना किसी प्रयुक्ति के औचित्य समाप्त हो गया है।

² औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री

³ सड़कों के माध्यम से माल को लाना

2.3.3.2 आबकारी मॉड्यूल

आबकारी मॉड्यूल अक्टूबर 2013 में एप्लीकेशन के साथ-साथ पोर्टल पर शिमला की पायलट साइट में प्रारम्भ किया गया था। विभाग ने आबकारी मॉड्यूल के अंतर्गत धीमी प्रगति को स्वीकार करते हुए आई.पी. को इसे बही तथा कांगड़ा को देने के लिए कहा था। पी.आई.सी. ने (नवम्बर 2016) पाया कि कांगड़ा जिले रिटेलर का डाटा अपूर्ण था। यह निर्णय लिया गया था कि सिस्टम में रिटेलरों के कुल लाइसेंसधारकों का विस्तृत डाटा डाला जाए। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि समस्त आबकारी मॉड्यूल तैयार हैं लेकिन उनका सम्पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। पी.आई.सी. ने निर्देश किया कि 1 दिसम्बर 2016 से समस्त लाइसेंसधारकों के लिए वैब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और क्षेत्रीय प्राधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी किये जाएंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आबकारी गतिविधियां जैसे कि बिक्री केन्द्र लाइसेंसधारियों, आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों के लाइसेंसो का नवीकरण, न्यूनतम गारण्टीड कोटा के प्रति परमिट जारी करना तथा न्यूनतम गारण्टीड कोटा के प्रति उत्थापन की निगरानी, अभी तक मैनुअल मोड में की जा रही थी।

2.3.3.3 अन्य मॉड्यूल

इसी प्रकार, यात्री एवं माल कर, औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955, विलास कर, चैक-पोस्ट, टी.न.ए.एक्स.एस.वाई.एस. तथा एस.एफ.एस.सी. से संबंधित मॉड्यूल भी प्रयोग में नहीं थे और प्रचालन/डाटाबेस ऑफ़लाइन मोड में बनाए गए थे। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण का मास्टर डाटा संबंधित मॉड्यूलों में उपलब्ध नहीं था और निर्धारण भी ऑफ़लाइन मोड में बनाए गए थे। परिणामतः इनमें से अधिकांश मॉड्यूल 1 जुलाई 2017 से इन करों को जी.एस.टी. के अंतर्गत मिलाए जाने के मद्देनजर प्रासंगिक नहीं थे। इसके अतिरिक्त, टी.आई.ए.ए.एक्स.एस.वाई.एस. मॉड्यूल अथवा अन्य मूल्य वर्धित कर मॉड्यूलों से उत्पन्न सुराग/बेमेल की जांच नहीं की जा रही थी जैसा कि अनुपालना अनियमितताओं के अंतर्गत इंगित किया गया था।

2.3.3.4 शिकायत मॉड्यूल

परियोजना के अंतर्गत डाले गए मॉड्यूलों की सूची में शिकायत मॉड्यूल नहीं था लेकिन पी.आई.सी. की बैठक (अगस्त 2015) में पाया गया कि शिकायत मॉड्यूल का उपयोग कम था। विभाग ने संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायतों की निगरानी से अवगत करवाने हेतु निर्देश दिया। पी.सी.आई. द्वारा यह भी पाया गया कि संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए एस.एम.एस. गेटवे का निष्पादन अच्छा नहीं था और व्यापारियों का इस फीचर में विश्वास कम हो रहा था। विभाग ने न तो एस.एम.एस. गेटवे के निष्पादन में सुधार के लिए कदम उठाए, न ही शिकायतों के सामान्यीकरण/निगरानी हेतु नामित अधिकारी/स्टॉफ की तैनाती की। इस प्रकार परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की अनदेखी की गई। लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि शिकायत मॉड्यूल/अन्य मॉड्यूलों के साथ संबद्धता विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार शेयर धारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण घटक परियोजना में नदारद था।

2.3.4 मूल्य वर्धित कर-आई.टी. परियोजना की वित्तीय प्रास्थिति

एम.एस.ए. के अनुसार 31 मार्च 2018 तक पांच वर्षों की ओ. एण्ड एम. लागत सहित परियोजना की कुल लागत ₹20.19 करोड़ थी जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है। एम.एस.ए. के अंतर्गत कार्य की सम्भावना के विभिन्न घटक **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

तालिका-2.4: लागतों का सारांश

भुगतान शीर्ष विवरण	राशि (₹ मे)
मूल्य वर्धित कर एप्लीकेशन की एक बार की लागत	2,22,22,098
वेब पोर्टल विकास लागत	19,79,796
कुल हार्डवेयर लागत	7,64,36,409
साईट तैयार करने की लागत	1,40,47,255
परिचालन एवं अनुरक्षण लागत	8,52,83,001
डाटा डिजिटलइजेशन की लागत	19,20,790
योग	20,18,89,349

आई.पी. तथा परियोजना परामर्शदाता को निर्गत निधियों की प्रास्थिति के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया कि राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति भुगतान प्रत्यक्ष रूप से कर रही है और इस प्रकार इसे लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी.आई.सी. में यह उल्लिखित था (नवम्बर 2011) कि हार्डवेयर की डिलीवरी एवं प्रतिष्ठापन हेतु मार्च 2011 में आई.पी. को ₹1.77 करोड़ निर्गत किये गए थे और विभाग को डिलीवर तथा प्रतिष्ठापित किये गए हार्डवेयर हेतु 65 प्रतिशत भुगतान तक निर्गत करने का निर्देश दिया था। इस बीच, आई.पी. ने कर की दरों के साथ-साथ हार्डवेयर की मात्राओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण ₹1.50 करोड़ का क्रेडिट नोट उपलब्ध करवाने के लिए सहमति जताई। परिणामस्वरूप हार्डवेयर के लिए ₹5.63 करोड़ की शेष राशि भुगतान योग्य थी। पी.आई.सी. ने नवम्बर 2011 में आई.पी. को ₹3.04 करोड़ जारी करने का अनुमोदन किया था। इस प्रकार, विभाग का उद्धरण विरोधाभासी था क्योंकि पी.आई.सी./ई.सी. ने विभाग को आई.पी. को भुगतान जारी किये जाने पर विचार करने के निर्देश दिए थे। पी.आई.सी. ने आई.पी. को जारी किये गए पूर्व भुगतानों की लेखापरीक्षा करने के लिए विभागीय प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया था। यदि विभाग आई.पी.को भुगतान जारी नहीं कर रहा था तो ऐसे मामले में निर्गत किये गए भुगतानों का लेखापरीक्षा का प्रस्ताव तर्क-संगत नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा का आयोजन करवाने के संबंध में तथा एजेंसी का नाम जिससे लेखापरीक्षा करवाई गई, को संदर्भ अभिलेखों में नहीं पाया गया था। आगे, भुगतानों की लेखापरीक्षा की प्रास्थिति को मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। आई.पी. द्वारा दिये गए ₹1.50 करोड़ के क्रेडिट नोट की प्रास्थिति और विभाग/ई.सी. के खाते में इसके समायोजन करने का तरीका न तो अभिलेखों में था, न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया गया। परियोजना पर व्यय राशि की सम्पूर्ण सूचना की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्यों/प्रदेयों, इत्यादि की प्राप्ति का सत्यापन नहीं किया जा सकता था।

2.3.5 परियोजना परामर्शदाता द्वारा अपूर्ण कार्य

आई.पी. ने सूचित (अगस्त 2015) किया कि उपयोक्ता आवश्यकताएँ विनिर्देश (यू.आर.स.), सिस्टम आवश्यकताएँ विनिर्देश (एस.आर.एस.) तथा सॉफ्टवेयर डिजाइन डाक्यूमेंट (एस.डी.डी.) बंद नहीं किये गए हैं और विभाग से प्रलेखों को बंद करने का अनुरोध किया गया था। विभाग ने बताया कि यह एक लम्बी प्रक्रिया थी जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जो अक्टूबर 2015 तक इसका सत्यापन करेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि पी.आई.सी. ने अंतिम तिमाही (अप्रैल-जून 2015) हेतु परियोजना परामर्शदाता (मैसर्ज पी.डब्ल्यू.सी.) के अंतिम भुगतान को

(दिसम्बर 2015) अनुमोदित किया था, यद्यपि नवम्बर 2016 को प्रलेखों जैसे एस.आर.एस., एस.डी.डी. तथा यू.आर.एस. को बंद किया जाना और उपयुक्त एग्रीजट योजना अब भी मैसर्स पी.डब्ल्यू.सी. के पास लम्बित थी। इन प्रलेखों की अनुपलब्धता से विभाग की प्रचालन आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावना संदेहास्पद रही।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि इन दस्तावेजों को बंद करने का अनुमोदन पी.आई.सी. द्वारा जून 2017 में कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.पी. से यू.आर.एस., एस.डी.डी. तथा ए.टी.एस. दस्तावेजों की हार्ड प्रतिलिपियां को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2017)।

2.3.6 लैगैसी डाटा कनवर्जन

एम.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार आई.पी. ने 2005 से 2010 की अवधि के लिए लैगैसी डाटा **अनुलग्नक-IV** को डिजिटाइज़ करना था। तथापि, विभाग ने बाद में बताया कि 2005-08 की अवधि के लिए डिजिटाइज़ डाटा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संविदा पर बिलम्बित हस्ताक्षर के कारण इस रिटर्नों के निर्धारण की अवधि समाप्त हो गई है। अतः पी.आई.सी.ने विभाग के अनुरोध पर 2005-10 से 2008-13 तक डाटा डिजिटाइज़ेशन की अवधि अनुमोदित कर दी थी। तथापि, लैगैसी डाटा अवधि को बदलने का निर्णय मनमाने ढंग से किया गया था क्योंकि हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21 (4) के अंतर्गत व्यापारियों को जारी किये गए नोटिसों को जारी करने के मामले में निर्धारण अवधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

पी.आई.सी. ने (मई 2015) सूचित किया गया था कि आई.पी. ने 1.32 लाख रिटर्न प्रपत्रों का डाटा डिजिटाइज़ेशन किया था लेकिन डिजिटाइज़ेशन किये गए लैगैसी डाटा में कुछ विसंगतियां थी। पी.आई.सी. ने लैगैसी डाटा के सत्यापन के लिए विभाग, परियोजना सलाहकार तथा आई.पी. की उप-समिति भी गठित की थी जिसने निम्नवत् अभ्युक्तियों की थी:

तालिका-2.5: लैगैसी डाटा में विसंगतियों का विवरण

मामला	उप-समिति की टिप्पणियां
डिजिटाइज़ की गई 15,141 वार्षिक रिटर्नों में से मात्र सात ही फार्म XV-A में डिजिटाइज़ की गई है जबकि 15,134 फार्म XV में गलत ढंग से डिजिटाइज़ की गई है।	टी.सी.एस. को इन अभिलेखों को ठीक करना था।
टी.सी.एस. ने भुगतान योग्य कर को पकड़ा था लेकिन व्यापारी द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कर की राशि नहीं पकड़ी है।	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।
कुछ अभिलेखों में भुगतान किया गया कर बहुत अधिक है अथवा बहुत कम है, जैसे कि ₹45,000 करोड़ अथवा (-) ₹6,000 करोड़	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।
लगभग 72 नकली अभिलेख हैं	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।
चार अभिलेखों के लिए कर की अवधि 2019/2010 दर्शाई गई है।	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।

लेखापरीक्षा में उप-समिति की अभ्युक्तियों की अनुपालना मांगी गई थी लेकिन आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। अभिलेख में एम.एस.ए. के अनुसार समस्त अभिलेखों का डिजिटाइज़ेशन और पी.आई.सी. द्वारा इसका अनुमोदन दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। डिजिटाइज़ की गई वार्षिक रिटर्नों की अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया था। पी.आई.सी. ने (मार्च 2013) यह निर्देश दिया था कि आगामी छः महीनों के भीतर डाटा

डिजिटाइजेशन तथा सत्यापन को पूर्ण किया जाए। इस प्रकार सितम्बर 2013 तक पूर्ण किये जाने के लिए अपेक्षित लैग्रेसी डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य नवम्बर 2016 तक भी अपूर्ण था। डाटा डिजिटाइजेशन की अपूर्णता के मद्देनजर हिमटॉस एप्लीकेशन का सफल क्रियान्वयन संदेहास्पद था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि डाटा डिजिटाइजेशन का मामला अगस्त 2015 में आयोजित बैठक में पी.आई.सी. द्वारा बंद कर दिया गया था। उत्तर अपूर्ण है क्योंकि एम.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार डाटा डिजिटाइजेशन न तो अभिलेखों में लाया गया और न ही लेखापरीक्षा को सूचित किया गया था तथा लैग्रेसी डाटा कनवर्जन अभी भी अपूर्ण था।

2.3.7 व्यापारियों का पैन डाटाबेस का अद्यतन

इस परियोजना के आर.एफ.पी. अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि 2009-10 बजट में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संदर्भ के मद्देनजर आई.पी. को विभिन्न पहलुओं तथा सम्भावित परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए ताकि मूल्य वर्धित कर जी.एस.टी. तक संक्रमण निर्बाध रूप से किया जाए। विभाग ने (जून 2013) बताया कि एन.एस.डी.एल. डाटाबेस के साथ व्यापारियों के सत्यापन के पश्चात यह पाया गया कि अधिकांश व्यापारियों ने गलत पैन संख्या उपलब्ध करवाई हैं। तदनुसार विभाग ने पैन के ऑनलाइन सत्यापन हेतु एन.एस.डी.एल. के साथ (मार्च 2015) एकीकरण योजना बनाई थी ताकि समस्त व्यापारियों के पैन के सटीक संग्रहण को बढ़ाया जाए जो कि जी.एस.टी. में अन्तरण के लिए प्रमुख आवश्यकता है। विभाग ने डाटा को सत्यापन के लिए एन.एस.डी.एल. को (मई 2015) प्रेषित किया था और सत्यापन के पश्चात् सही पैनों के प्रतिशत में 75 प्रतिशत की वृद्धि की आशा थी। विभाग ने शेष व्यापारियों से पैन के संग्रहण के लिए फील्ड अधिकारियों को लिखा था कि इनको (पैन) सत्यापन हेतु एन.एस.डी.एल. को प्रेषित किया जाए और समस्त पैन को ठीक करने के लिए 25 अगस्त 2015 को निश्चित किया था जिसके बाद उनके टी.आई.एन. निरस्त कर दिये जाएंगे। यह भी निर्देश दिया था कि विभागीय डाटाबेस में आवश्यक अद्यतनीकरण के पश्चात ई.सी. तथा जी.एस.टी.एन. को अद्यतनीकृत प्रतिवेदन भेजा जाए। पैन/टिन के निरस्तीकरण के अद्यतनीकरण की प्रास्थिति उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार मूल्य वर्धित कर से जी.एस.टी. में निर्बाध संक्रमण हेतु राज्य की तैयारी का निर्धारण करना कठिन था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि 15 जून 2017 तक 97 प्रतिशत व्यापारियों ने जी.एस.टी. को अपना लिया था। उत्तर प्रांसगिक नहीं है क्योंकि विभाग अपने व्यापारियों के पैन डाटाबेस के संशोधन के संबंध में चुप था क्योंकि विभाग ने स्वयं अभिलिखित किया कि अधिकांश व्यापारियों ने गलत पैन संख्या उपलब्ध करवाई थी।

2.3.8 मूल्य वर्धित कर-आई.टी. परियोजना का अंतिम परीक्षण तथा प्रमाणन

परियोजना को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अंतिम स्वीकृति, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:

- i. अंतिम स्वीकृति परीक्षण (एफ.ए.टी.) तथा प्रमाणीकरण के संचालन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम अभिकरण से।
- ii. अंतिम परीक्षण तथा प्रमाणीकरण अभिकरण के विकास के चरण से परियोजना के साथ सम्मिलित होगा और सुनिश्चित करेगा कि दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है एप्लीकेशन को पूर्णतः विकसित करने के पश्चात की गई जांच के बाद और बड़े स्तर पर सुधारों से बचा जाए;

iii. अंतिम परीक्षण तथा प्रमाणीकरण अभिकरण सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सुरक्षा तथा समस्त अन्य पहलुओं पर विशिष्ट परीक्षणों के संचालन हेतु व्यावसायिक संगठनों को सम्मिलित कर सकता है;

यद्यपि, विभाग ने आई.पी. द्वारा मूल्य वर्धित कर-आई.टी. परियोजना के अंतर्गत दिये गए 23 मॉडयूलों (लगभग) के अंतिम स्वीकृति परीक्षण संचालित करने के लिए अधिकारियों के दलों के गठन के लिए (जनवरी 2013) आदेश जारी किये थे। अतः अंतिम स्वीकृति परीक्षण न तो तकनीकी रूप से सक्षम अभिकरण द्वारा करवाया गया था, न ही यह विकास चरण से परियोजना के साथ संबद्ध था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग आई.पी. द्वारा वास्तविक रूप से दिये गए मॉडयूलों की संख्या के बारे में भी निश्चित नहीं था। प्रसंगवश पी.आई.सी. ने अक्टूबर 2013 में आयोजित अपनी बैठक में राज्य में नेटवर्किंग हेतु चिन्हित विभाग के सौ स्थलों में से 90 प्रतिशत की अपेक्षा के प्रति पांच पॉयलट स्थलों पर जाकर 23 मॉडयूलों का रिकार्ड अंतिम परीक्षण पर लिया था। आगे, पी.आई.सी. ने अंतिम स्वीकृति परीक्षण के लक्ष्य की पूर्णता के प्रति ₹1.22 करोड़ जारी किये जाने का अनुमोदन तथा सिफारिश की थी। अतः अनुबद्ध लक्ष्य के अनुसार अंतिम स्वीकृति परीक्षण की पूर्णता के बिना भुगतान अनियमित रूप से जारी किया गया था। अंतिम स्वीकृति परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सुझाए गए निष्कर्षों/टिप्पणियां/सुझावों/सुधारों, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद न तो उपलब्ध करवाए गए थे, न ही पी.आई.सी. के विचार-विमर्शों से इनका अनुमान लगाया जा सकता था।

अंतिम स्वीकृति परीक्षण विश्वसनीय न होने से परियोजना की पूर्णता की सीमा और कार्यक्रम लक्ष्यों को प्राप्त करने की इसकी क्षमता निर्धारित करना सम्भव नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि पांच पॉयलट स्थलों पर सिस्टम को रोलआउट किया गया था। अतः विभाग ने नेटवर्किंग के लिए चिन्हित सौ स्थलों के 90 प्रतिशत पर अंतिम स्वीकृति परीक्षण किये बिना अंतिम स्वीकृति परीक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति ₹1.22 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की थी।

2.3.9 आई.टी. परियोजना के लिए गो-लाइव प्रमाण पत्र

आई.पी. ने आई.टी. परियोजना की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया तो परियोजना के गो-लाइव प्रमाण पत्र को जारी करने में बिलम्ब पर (नवम्बर 2016) प्रकाश डाला जिसके कारण भारी वित्तीय बोझ पड़ा और पी.आई.सी. से मामले का संज्ञान लेने तथा समाधान सुझाने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने औपचारिक रूप से परियोजना के किसी भी 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र को जारी नहीं किया तथा 1 अप्रैल 2013 से पांच वर्षों के लिए साधारण रूप से ओ. एण्ड एम. चरण शुरू कर दिया था। विभाग ने पी.आई.सी. के दिशा-निर्देशों के बावजूद 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र जारी करने की सही प्रास्थिति सूचित नहीं की थी। अतः आई.टी. परियोजना का अब भी 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र प्राप्त करना था। 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र के अभाव में परियोजना के सफल क्रियान्वयन की प्रभावकारिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि 1 अप्रैल 2013 से 'गो-लाइव' को आई.पी. को दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.सी. ने 1 अप्रैल 2013 से परियोजना के ओ. एण्ड एम. चरण की शुरुआत करने की अनुमति दी थी तथा इस प्रकार 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र का कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं किया गया था।

2.3.10 नवीन परियोजना के सलाहकार की नियुक्ति

सेवाओं के निष्पादन का वास्तविक स्तर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एस.एल.ए. में निर्दिष्ट है। एस.एल.ए. की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार एस.एल.ए. में उपलब्ध करवाई गई मापक मैट्रिक्स के अनुसार सेवा स्तर में कमी के लिए ओ. एण्ड एम. लागत के भुगतानों से आई.पी. पर शास्ति उदग्राह्य थी। पी.डब्ल्यू.सी. की संविदा अवधि की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए पी.आई.सी. द्वारा शास्तियों पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। इस बीच, ई.सी. ने सूचित किया कि नव-नियुक्त सलाहकार की स्वीकृति के बिना भुगतान जारी नहीं किये जाएंगे। तथापि, परियोजना सलाहकार की भर्ति के लिए स्वीकृति राज्य सरकार के पास लम्बित थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि एन.आई.सी.-एस.आई. के माध्यम से सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। तथापि, अगस्त 2016 में एन.आई.सी.-एस.आई. से सलाहकार तथा वरिष्ठ सलाहकार को हायर करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बावजूद भी सलाहकार का नामांकन किया जाना अभी तक शेष था तथा इसमें ₹14.84 लाख का परिव्यय सम्मिलित था। आगे, नियुक्ति की अवधि तथा वित्तीय पैकेज को निश्चित करने का आधार विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

2.3.11 कार्यान्वयन भागीदार द्वारा कमी युक्त सेवा के लिए शास्ति

राज्य सरकार से सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की लम्बित स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए पी.आई.सी. ने एस.एल.ए. के अंतर्गत उदग्राह्य शास्ति की अधिकतम राशि रोकने के बाद भुगतान जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया था। आगे, अनुशंसित भुगतान जब भी सलाहकार नियुक्त किया जाए, सलाहकार द्वारा समीक्षा का विषय था तथा तब अनुशंसित वास्तविक शास्ति को काटा जाएगा। यह पाया गया कि विभाग ने 2015-16 की तृतीय तिमाही एवं चौथी तिमाही तथा 2016-17 की पहली तिमाही एवं दूसरी तिमाही के लिए एस.एल.ए. के मापक मैट्रिक्स के अनुसार परियोजना के अंतर्गत सेवा प्रदेयों में कमी के मद्देनजर ₹11.00 लाख (अधिकतम स्तर पर) की शास्ति काटी थी।

2.3.12 हार्डवेयर वारंटियों का विस्तार न करना

आई.पी. ने (दिसम्बर 2015) सूचित किया कि महत्वपूर्ण डी.सी. हार्डवेयर तथा ओरेकल ए.टी.एस. के लिए वारंटियां एक साल के लिए नवीकृत की गई थी लेकिन कुछ हार्डवेयर की वारंटियाँ नवीकरण हेतु लम्बित थी जो कि परियोजना के सफल निष्पादन के लिए आवश्यक थी। आई.पी. ने वारंटियों के विस्तार के लिए अतिरिक्त लागत की मांग की थी क्योंकि यह नवीकरण परियोजना में पांच वर्षों की पूर्णता के मद्देनजर कार्य के क्षेत्र से बाहर थे। पी.आई.सी. ने आई.पी. से समस्त लागत देयता अवगत करवाने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग का यह विचार था कि विश्व बैंक जी.एस.टी. तत्परता के लिए हार्डवेयर के अद्यतनीकरण के लिए सहायता प्रदान करेगा जो वित्त वर्ष 2016 में प्रारम्भ हो सकता है और वारंटियों का विस्तार 2016 से आगे अपेक्षित नहीं होगा। अतः परियोजना के हार्डवेयर के अनुरक्षण के प्रति विभाग का दृष्टिकोण व्यापक नहीं था।

2.3.13 अपर्याप्त यू.पी.एस. तथा विद्युत मामला

आई.पी. ने (नवम्बर 2016) सूचित किया कि यू.पी.एस. स्पष्ट संख्या में नोडों का भार उठाने के लिए प्रतिष्ठापित किये गए थे तथा समय बीतने के साथ नोडों की संख्या में वृद्धि तथा जी.एस.टी. के आने के कारण अधिक भार के मद्देनजर अतिरिक्त यू.पी.एस. की मांग की गई थी। पी.आई.सी. ने आई.पी. से निर्धारित दायरे के अनुसार सिस्टम को संभालने के लिए कहा था। आई.पी. ने अवगत करवाया कि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभार्य आधार पर कुछ अतिरिक्त नोड स्थापित किये गए थे जिनके लिए भुगतान जारी नहीं किये गए थे। अतः विद्युत व्यवधान के मामले में सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी तथा इसके परिणामस्वरूप डाटा का विघटन/हानि हो सकती है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि जी.एस.टी.एन.से प्राप्त किये गए परामर्श के अनुसार ही पूरा हार्डवेयर बदला जाना था। इस प्रकार, विभाग परियोजना की योजना/निष्पादन के समय जी.एस.टी.एन. के संघटकों के साथ परियोजना संघटकों के संकलन में विफल रहा।

2.3.14 परियोजना की थर्ड-पार्टी सुरक्षा लेखापरीक्षा संचालन न करना

एम.एस.ए. के खण्ड 6.4 निबन्धनों के अनुसार सिस्टम की सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा क्रियान्वयन लेखापरीक्षा ई.सी. अथवा इसके नामांकित अभिकरण द्वारा आई.पी. की लागत पर वर्ष में एक बार की जाएगी। पी.आई.सी. के कार्यवृत्तों (अगस्त 2015) में उल्लिखित हैं कि आई.पी. प्रत्येक वर्ष तथा जून 2015 में चालू वर्ष के लिए आन्तरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा का आयोजित कर रहा था। तथापि, विभाग ने आई.पी. से लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सांझा करने के लिए कहा था। विभाग ने भी डी.आई.टी. से सर्वरों तथा डाटा केन्द्र की थर्ड पार्टी सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कहा था। डी.आई.टी. ने सर्वरों के आई.पी. पत्तों तथा एप्लीकेशन एवं वैब पोर्टल के टेस्ट यूजर परिचय देने के लिए कहा था। तथापि, मांगे जाने के बावजूद भी आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ थर्ड पार्टी सुरक्षा लेखापरीक्षा की प्रास्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। पी.आई.सी. की बैठकों के अनुवर्ती कार्यवृत्त आन्तरिक/थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सुधारात्मक कार्यवाही के ब्यौरों का कोई साक्ष्य उजागर नहीं करते थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना सलाहकार ने अपने प्रतिवेदन 'कार्यात्मकता अनुपालना' में बताया था कि यद्यपि पोर्टल एस.एस.एल. प्रमाणित है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता के प्रति 2010 में एक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी तथा एक नवीन लेखापरीक्षा का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग के अभिलेखों में अभ्युक्तियों की अनुपालना, यदि कोई हो, भी नहीं मिल सकी थी।

परियोजना सलाहकार ने (मार्च 2013) भारत सरकार के मानकों के अनुसार सुरक्षा अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवेदन तथा वैब-पोर्टल का मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन आयोजित करने का निर्देश दिया था और इसकी अनुपालना भी अभिलेखों में नहीं थी।

2.3.15 अभिलेखीय तथा वसूली

सिस्टम द्वारा उत्सर्जित डाटा के लिए प्रभावी बैकअप समाधान होना चाहिए। मूल्य वर्धित कर एप्लीकेशन में समय सहित स्टॉटिक डाटा, लेन-देन डाटा के अभिलेखों के लिए सभी स्थानों पर सुविधाएं होनी चाहिए। किसी भी सिस्टम की विफलता के मामले में बैकअप तथा डाटा बैकअप को

पुनः चालू करने के दौरान उचित बहाली की जांच होनी चाहिए। यद्यपि, परियोजना ने इस पहलू को सुनिश्चित किया तथा बैकअप रखा था लेकिन इसको एक ही स्थान पर रखा गया था।

2.3.16 वैब-पोर्टल तथा एप्लीकेशन में कमियां

परियोजना सलाहकार ने आई.पी. द्वारा विकसित एप्लीकेशन के साथ आर.एफ.पी. में परिभाषित आवश्यकताओं के मानचित्रण द्वारा परियोजना की कार्यात्मकता अनुपालना पर (मई 2013) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसने क्रियान्वित नहीं की गई कार्यात्मक आवश्यकताओं को इंगित किया, जैसा कि अनुलग्नक-V एवं VI, में ब्यौरा दिया गया है, अर्थात् जैसे परियोजना के वैबपोर्टल में सभी संबंधित अधिनियम तथा नियम, विभाग के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण निर्णयों, सामानों के आधार पर दर सूचियों की खोज, भुगतान किये गए तथा नहीं किये गए कर की राशि के साथ मुख्य करदाताओं तथा चूककर्ताओं की सूची, आदि सम्मिलित नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.), 1956 तथा नियमावली, 1957 सहित अधिकतर नियम तथा नियमावलियां वास्तविक समय आधार पर अब भी अद्यतन नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 1911, हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियम 1986 भी सारे अद्यतन नहीं किये गए थे। हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के अंतर्गत टोल घोषणाएँ मात्र 2008-09, 2009-10 तथा 2011-12 के लिए अपलोड की गई थी। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण निर्णयों को मात्र अगस्त 2014 से बाद के लिए अपलोड किया गया था। प्रमुख करदाताओं तथा बकायादारों के साथ-साथ भुगतान किये गए कर की राशि तथा भुगतान नहीं किये गए कर की राशि आदि की सूची पोर्टल इत्यादि पर अपलोड नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू करने को ध्यान में रखते हुए परियोजना सॉफ्टवेयर में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विभाग 1 अप्रैल 2013 से परियोजना की स्थापना के साथ-साथ इसके ओ. एण्ड एम. पर व्यय करने के बावजूद इसका उपयोग करने में विफल रहा।

2.3.17 अनुपालना अनियमितताएँ

2.3.17.1 आर्थिक खुफिया इकाई

आबकारी एवं कराधान विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के आधार पर 18 जुलाई 2013 को आर्थिक खुफिया इकाई (ई.आई.यू.) की स्थापना की थी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अध्यक्षित ई.आई.यू. ने कार्यों जैसे पंजीकरण डाटा विश्लेषण, रिटर्न विश्लेषण, लेखापरीक्षा डाटा विश्लेषण, 360 डिग्री विश्लेषण, सामान विश्लेषण, व्यापारी की प्रोफाइलिंग (स्टॉर रेटिंग), डाटा प्रबन्धन फीडबैक विश्लेषण, व्यापार खुफिया तथा डाटा वेयरहाउस, साइबर फोरसिक, इत्यादि के निष्पादन हेतु सितम्बर 2013 से कार्य करना शुरू किया था। अतः हिमाचल प्रदेश के विभिन्न व्यापारियों द्वारा अपलोड किये गए ऑनलाइन डाटा के विश्लेषण के लिए ई.आई.यू. की स्थापना की गई थी, विभिन्न प्रकार के बे-मेल जिनका पता ऑनलाइन में किया गया, को आगे की जांच के लिए जिला कार्यालयों अथवा उड़न-दस्तों को भेजा जाता था। इकाई के लिए मात्रात्मक शर्तों में कोई विशिष्ट लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

- i. सिरमौर, बदी तथा सोलन राजस्व जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से निवेश कर क्रेडिट (आई.टी.सी.)के अधिक दावों जो अंतर्राज्य खरीदों/बिक्रियों से मेल नहीं खाते तथा

महत्वपूर्ण धनराशि से अंतर्ग्रस्त निम्नवत व्यापारियों सहित 189 व्यापारियों द्वारा ₹441.10 करोड़ के परिचालित व्यापार की अनियमिततायें उद्घाटित हुईं:

तालिका-2.6: निवेश कर क्रेडिट बे-मेल का विवरण

क्रम संख्या	टीन	वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	02020500703/704/705	2014-15	232.26
2.	02040201053	2012-13	204.00
3.	02040200799	2012-13/13-14/14-15	1.21
4.	02040400186	2013-14	1.06
5.	02030101569	2013-14	1.04
6.	02030100143	2013-14	1.53
योग			441.10

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोलन राजस्व जिले में परिचालित व्यापार की आशंका से ग्रसित ₹232.26 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आई.टी.सी. बे-मेल का एक मामला नवम्बर 2014 में संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त को अग्रेषित किया गया था लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं की गई थी, इसी प्रकार अधिक आई.टी.सी. दावों के अन्य मामलों का निपटान संबंधित जिलों के साथ-साथ विभाग के अभिलेखों से प्राप्त नहीं किये जा सके थे। अतः आई.टी.सी. के झूठे दावे की सम्भावना से युक्त गम्भीर उद्धरणों की तर्कसंगत निष्कर्ष तक जांच नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व हानि हो सकती है।

- ii. इसी प्रकार, अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि ₹1,588.66 करोड़ की छुपाई गई खरीद एवं बिक्री के मामलों को भी अंतिम रूप से निपटारा नहीं गया था अथवा विभाग के अभिलेखों से उनकी प्राप्ति प्राप्त नहीं की जा सकती थी। अधिक धनराशियों से अंतर्ग्रस्त मामलों का कर अनुमान निम्नवत् है:

तालिका-2.7: छुपाई गई खरीदों/बिक्रियों का विवरण

क्रम संख्या	टीन	वर्ष	छुपाई गई खरीद/बिक्री	मूल्य वर्धित कर की देय राशि
1.	02020200416	2011-12 से 2013-14	1248.10	62.41
2.	02040400310	2012-13/13-14/14-15	127.05	6.35
3.	02040400180	2013-14	59.42	2.97
4.	02040400219	2012-13/13-14	25.52	3.51
5.	02030201238	-	4.47	0.22
6.	02030300460	2011-12 से 2013-14	36.25	1.81
7.	02020500613	2012-13 से 2014-15	87.85	4.39
योग			1,588.66	81.66

- iii. सिरमौर, बड़ी तथा सोलन जिलों में 12,890 व्यापारियों में से 120 व्यापारियों की नमूना जांच करने से उद्घाटित हुआ कि इन व्यापारियों ने 2013-14/2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में बड़ी भिन्नताओं के उद्धरण सहित ₹231.03 करोड़ तक कम मूल्य वर्धित कर भुगतान किया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.8: मूल्य वर्धित कर के कम भुगतान का विवरण

₹ करोड़ में			
क्रम सं.	टिन	वर्ष	राशि
1	02030200804	2014-15	69.54
2	02040200757	2014-15	7.82
3	02030100669	2013-14	14.87
4	02030200908	2013-14	9.92
5	02030300618	2014-15	13.37
6	02060600235	2013-14	6.37
7	02020100439	2014-15	2.86
योग			124.75

- iv. वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सकल बिक्री, निवेश कर क्रेडिट तथा भुगतान योग्य कर राशि की तुलना में विगत वर्षों के आंकड़ों में असमान्य अन्तर थे जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.9: सकल बिक्री/निवेश कर क्रेडिट/ भुगतान योग्य कर में भिन्नता का ब्यौरा

₹ करोड़ में					
जिले का नाम	मामलों की संख्या		सकल बिक्री	निवेश कर क्रेडिट	भुगतान योग्य कर
	कुल	नमूना जांच			
सिरमौर	6,186	55	127.96	1.32	2.91
सोलन	16,385	50	112.61	1.07	5.96
बढ़ी	9,499	60	281.56	6.04	3.30

- v. बढ़ी राजस्व जिले ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 256 मामलों में ₹26.51 करोड़ की अतिरिक्त कर की मांग की थी। तथापि, अतिरिक्त कर मांग के प्रति जमा करवाए गए करों की प्रास्थिति लेखापरीक्षा में मांगे जाने के बावजूद न तो हिमटास एप्लीकेशन पर उपलब्ध थी, न ही लेखापरीक्षा को अवगत करवाई गई थी।
- vi. सिरमौर में बढ़ी संख्या में पंजीकृत व्यापारियों ने अपनी रिटर्न हिमटास एप्लीकेशन पर फाइल भी नहीं की थी जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.10: रिटर्न को देर से/नहीं भरने वालों का ब्यौरा

वर्ष	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	देरी से फाइल करने वाले	फाइल न करने वाले
2012-13	3,246	492	1,984
2013-14	3,649	263	1,173
2014-15	3,954	345	1,665

- vii. जिला सिरमौर में सात व्यापारियों ने 2013-14 तथा 2014-15 वर्षों के दौरान निरस्त/ निलम्बित व्यापारियों से ₹11.18 लाख का निवेश कर क्रेडिट का दावा किया था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि जिला सिरमौर से मामले की जांच करने को कहा गया था। अन्य अनुपालना अनियमितताओं के संबंध में विभाग ने उत्तर दिया कि प्रत्येक तथा हर बे-मेल का संज्ञान लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। इस प्रकार, विभाग राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए परियोजना से उत्सर्जित सुरागों का उपयोग करने में विफल रहा।

2.3.18 बैंक ऑफिस स्वचालन का उपयोग

पी.आई.सी. ने समय-समय पर पाया कि व्यापारियों द्वारा वैब पोर्टल के उपयोग के आंकड़ों में वृद्धि हो रही थी जबकि बैंक ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग न केवल कम था बल्कि घट भी रहा था।

विभागीय रूप से वैब पोर्टल के प्रयोग में वृद्धि के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किये जा रहे थे।

- i. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों और निर्धारण प्राधिकारियों को द्वितीय मॉड्यूलों जैसे निर्धारण, रिफंड, आदि के उपयोग करने के निर्देश दिये गए थे।
- ii. क्षेत्रीय स्टॉफ को भी सॉफ्टवेयर के उपयोग करने और ज्यादा से ज्यादा मामले अनुमानित निर्धारण के अंतर्गत लाने के लिए कहा गया था।
- iii. समस्त निर्धारण प्राधिकारियों से अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत रिटर्न की संवीक्षा पूरी करने के लिए कहा गया था, सभी निर्धारण मॉड्यूल पर किये जाने चाहिए तथा मापदंडों को उनकी ए.सी.आर. में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2016 तक विभिन्न निर्धारण प्राधिकारियों ने 129 ई-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया था जबकि 13,42,264 व्यापारियों ने ई-रिटर्न फाइल की थी। विभाग ने उत्तर दिया कि कम्प्यूटरीकरण से पहले के निर्धारणों के मामले अंतिम रूप दिये जाने के लिए लम्बित थे।

सिस्टम के अंतर्गत उत्पन्न किये गए आउटपुट रिपोर्ट (लीड्स) पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय प्राधिकारी इन प्रतिवेदनों पर उचित कार्यवाही कर रहे थे जैसा कि कानून के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान था। तथापि, सिस्टम द्वारा उत्पन्न सुरागों पर मुख्यालय स्तर पर किसी नीतिगत निर्देश/अवलोकन का साक्ष्य नहीं था।

विभाग द्वारा बैंक ऑफिस ऑटोमेशन के उपयोग में कोई सुधार नहीं किया गया था। पी.आई.सी. ने आई.पी. से विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मॉड्यूलों के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए (नवम्बर 2016) कहा था। विभाग ने उत्तर दिया कि अधिकांश बैंक ऑफिस एप्लीकेशन मॉड्यूलों को निर्धारण के बाद प्रयुक्त किया जाना था। स्टॉफ की कमी के कारण निर्धारण कार्य धीमा था तथा बैंक ऑफिस मॉड्यूलों के कम उपयोग का कारण थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्प्यूटरीकरण से पहले के निर्धारणों की पूर्णता के लिए कोई निश्चित समय सारणी नियत न करना तथा एप्लीकेशन के उपयोग को अनिवार्य न करने से इसका वास्तविक उपयोग घटा तथा परिणामतया परियोजना पर ₹20.19 करोड़ का व्यय भी निष्फल रहा।

2.3.19 निष्कर्ष

परियोजना परामर्शदाता की कार्यात्मकता अनुपालना प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों के महत्वता को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट था कि सिस्टम को श्रेष्ठ प्रणालियों के अनुसार अपनाया तथा बनाया नहीं गया है और परियोजना के क्रियान्वयन में गम्भीर कमियां छोड़ी गई थीं। इसके अतिरिक्त, कार्यात्मक आवश्यकताओं के गैर/आंशिक क्रियान्वयन के कारण परियोजना का क्रियान्वयन पूर्णता से अब भी दूर था। परिणामतया, यह परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा था तथा राजस्व वसूली की क्षमता तथा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार, यदि कोई था, पर इसके प्रभाव को जानना सम्भव नहीं था।

आगे, 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. के क्रियान्वयन तथा जी.एस.टी. के अंतर्गत 'क्रियान्वयन मॉडल-2' के लिए विभागों के विकल्प के साथ-साथ परियोजना के अंतर्गत स्थापित विभिन्न मॉड्यूलों का उपयोग करने के लिए विभाग की अक्षमता के मद्देनजर परियोजना पर किया गया ₹20.19 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

सरकार को मामला जुलाई 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.4 प्रवेश कर का कम लगाना

वसूली योग्य ₹2.41 करोड़ के प्रवेश कर के प्रति ₹1.38 करोड़ के प्रवेश कर को वसूल किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ के प्रवेश कर कम लगाया गया।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (तेगला)की अनुसूची- 11 में प्रावधान है कि निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले माल जिसमें हॉईड्रो पावर तथा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाएँ, दूरसंचार तथा अन्य सभी टर्न की परियोजनाओं को जिन्हें राज्य में निजी एवं सरकारी विभागों/निगमों/बोर्ड इत्यादि द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था पर पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर संग्रहण किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य के बाहर पंजीकृत व्यापारियों जो हिमाचल प्रदेश में माल की आपूर्ति कर रहे हैं, पर लागू है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने राज्य के बाहर पंजीकृत चार व्यापारियों से 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ₹48.24 करोड़ मूल्य के 6,16,966 इलैक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर खरीदे। इन पर पांच प्रतिशत की दर से ₹2.41 करोड़ की राशि का प्रवेश कर उदग्राह्य था जबकि आबकारी विभाग के बहुउद्देशीय बैरियरों पर इन ऊर्जा मीटरों पर तीन प्रतिशत की दर से ₹1.38 करोड़ की राशि का प्रवेश कर प्रभारित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ के प्रवेश कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला (जून 2017) प्रतिवेदित किया गया था, विभाग ने (सितम्बर 2017) उत्तर दिया कि आपूर्ति किये गए इलैक्ट्रॉनिक मीटरों की कीमत पर तीन प्रतिशत की दर से प्रवेश कर प्रभारित किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची- 11 की प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत प्रवेश कर पांच प्रतिशत की दर पर उदग्रहण योग्य था क्योंकि निजी ठेकेदार/विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गए इलैक्ट्रॉनिक मीटरों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा ऊर्जा के वितरण में उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की खरीद अवधि के संदर्भ में नवम्बर 2015 में प्रवेश कर के एक अन्य निर्धारण को तैयार करते हुए पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर उदग्रहण तथा वसूल किया था।

2.5 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान सकल बिक्री से ₹6.39 करोड़ की आय को निकालने के परिणामस्वरूप ₹25.52 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उदग्राह्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2(v) (जैड.डी.) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों, क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(1) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो उससे चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज उदग्राह्य होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के अभिलेखों की जून तथा जुलाई 2016 में की गई संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए एक व्यापारी के निर्धारणों को जून 2015 में क्रमशः ₹72.62 करोड़ तथा ₹90.42 करोड़ की सकल बिक्री पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए व्यापारी की कर योग्य बिक्री में क्रमशः ₹3.10 करोड़ तथा ₹3.29 करोड़ की आय को सम्मिलित नहीं किया था। निर्धारण प्राधिकारी के अपने निर्धारण आदेश में इन वर्षों की सकल बिक्री में आय को सम्मिलित न करने के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार, ₹6.38 करोड़ की सकल बिक्री का अल्प-निर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹25.52 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2017 तक कर के अल्प-भुगतान पर ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

सरकार तथा विभाग को जून 2017 में मामला प्रतिवेदित किया गया था, विभाग ने उत्तर (अगस्त 2017) दिया कि बिक्री के मापदंडों की पूर्ति पर आय प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसे व्यापार तथा लाभ एवं हानि के खाते में विधिवत रूप से लेखांकित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2008-09 के लिए ₹564.98 करोड़ तथा 2009-10 के लिए ₹633.58 करोड़ की 'बिक्री एवं परिचालन आय' में व्यापारी द्वारा उपार्जित किये गए प्रोत्साहन को पहले ही सम्मिलित कर दिया गया था इस प्रकार विभाग का 'अन्य आय' के संदर्भ में प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करने का कथन सही नहीं था। इसके अतिरिक्त, 'अन्य आय' ₹1.30 करोड़ तथा ₹97.00 लाख के समेकित वार्षिक लेखों का मूल भाग होने के बावजूद भी व्यापारी के मण्डी जिले के उसके शो-रूम के संदर्भ में दर्शाई गई आय की अपेक्षा कम था। आगे नियम 17 के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी को उसकी सकल बिक्री से कटौती अनुमत 'एक ऐसी राशि के रूप में नकद छूट उसके नियमित व्यापार प्रथा के अनुसार प्रदान की जा सकती है' तथा इसमें प्रोत्साहन के प्रति किसी कटौती का प्रावधान नहीं किया। इस प्रकार, सकल बिक्री से ₹6.39 करोड़ की आय को निकालने के परिणामस्वरूप ₹25.52 लाख का राशि के मूल्य वर्धित कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.6 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

सकल बिक्री में से ₹61.42 करोड़ का अवनिर्धारण/आय को निकालने के कारण राज्य सरकार को ₹7.68 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2(v) (जैड.डी.) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों, क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(1) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो उससे चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज उद्ग्राह्य होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए एक व्यापारी के निर्धारणों को जून 2015 में क्रमशः ₹95.19 करोड़ तथा ₹103.09 करोड़ की सकल बिक्री पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया। यद्यपि, व्यापार तथा लाभ एवं हानि खाता में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान क्रमशः ₹139.60 करोड़ तथा ₹161.13 करोड़ की सकल बिक्री दर्शाई गई थी। निर्धारण

प्राधिकारी ने निर्धारण के दौरान व्यापारी के दिल्ली कार्यालय से संबंधित ऐसी राशि जिसके लिए बिल नहीं काटे गए थे, के रूप में क्रमशः ₹25.51 करोड़ तथा ₹35.91 करोड़ की सकल बिक्री को घटा दिया था। यद्यपि, ₹61.42 करोड़ की सकल बिक्री घटाने के लिए अनुमत नहीं थी क्योंकि आई.टी.डी. पब्लिक कम्पनी लिमिटेड को थाइलैंड के कानून के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था तथा कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश राज्य में एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा बांध के लिए लोक निर्माण कार्य, स्पिल-वे तथा बिजली बनाने के संदर्भ में प्रदान किये गए कोल-डैम हॉईड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निष्पादित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को 6 फरवरी 2004 में एक सूचना दी थी तथा वित्तीय विवरणियां कम्पनी द्वारा की गई गतिविधियों के निष्कर्षों को परिलक्षित करती थी। इस प्रकार, व्यापार तथा लाभ एवं हानि खाता अकेले कोल-डैम हॉईड्रो-इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के द्वारा निष्पादित किये गए कार्यों के निष्कर्षों को परिलक्षित करता था तथा ₹61.42 करोड़ की आय को सकल बिक्री से घटाया जाना स्वीकार्य नहीं था। ₹61.42 करोड़ की आय को सकल बिक्री से घटाए जाने के फलस्वरूप ₹7.68 करोड़ (कर दर 12.50 प्रतिशत) कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था, इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.7 कार्य अनुबंध कर की अल्प-कटौती

उप-संविदा भुगतानों पर कार्य अनुबंध कर की कटौती न करने के कारण ₹3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर के नियम 38(i) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य संविदा के साथ अनुबंध में प्रवेश कर रहा हो या निर्माण ठेकेदार एक संविदा में उप-संविदाकार सहित निर्माण कार्यों का निष्पादन करने में माल के रूप सम्पत्ति का स्थानान्तरण करने के लिए प्रवेश करता है, वह ऐसे अनुबंध के 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रपत्र वैट-XII में ऐसे अनुबंध के विवरण उचित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आगे नियम 38(4) प्रावधान करता है कि उप-नियम (1) के अंतर्गत समस्त निर्माण संविदाओं का निष्पादन करने के संदर्भ में, चाहे वह भाग में अथवा पूर्ण रूप में निष्पादित की गई हो, के सभी भुगतानों से कटौती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों तथा नियम 38(3) में प्रावधान है कि किसी भी सरकार के किसी विभाग/निगम/सरकारी उपक्रम, सहायिता समितियां, स्थानीय निकायों, न्यास (ट्रस्ट) अथवा निजी या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा अन्य किसी विषय में प्रत्येक व्यक्ति निर्माण कार्यों के निष्पादन में देय मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी देयता के निर्वहन पर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, वह सभी कार्य अनुबंधों से कर की कटौती के रूप में ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर की राशि को घटा सकेगा।

2.7.1 लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों से पाया कि निर्धारण प्राधिकारी जब जून 2015 में एक व्यापारी के वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए श्रम प्रभागों में सम्मिलित ₹140.79 करोड़ की उप-अनुबंध कटौती को घटा दिया था। यद्यपि, व्यापारी ने केवल ₹140.79 करोड़ के कुल उप-अनुबंध प्रभागों के प्रति केवल ₹23.38 करोड़ के उप-अनुबंध भुगतान पर दो प्रतिशत की दर से ₹46.76 लाख के कार्य अनुबंध कर को ही घटाया था। इस प्रकार, व्यापारी द्वारा ₹2.35 करोड़ (₹117.41 करोड़ पर दो प्रतिशत की दर से) के श्रम संविदा कर की कटौती किये बिना ही

₹117.41 करोड़ के उप-अनुबंध भुगतान की कटौती श्रम प्रभारों के रूप में अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹2.35 करोड़ के श्रम संविदा कर की अल्प कटौती हुई।

2.7.2 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के एक व्यापारी के वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारण आदेशों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि व्यापारी ने ₹140.18 करोड़ की सकल बिक्री में से ₹48.62 करोड़ के उप-संविदा व्ययों तथा ₹40.93 करोड़ के श्रम प्रभारों का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि तथापि व्यापारी ने सामग्री के अंतरण के लिए ₹48.62 करोड़ के भुगतान के प्रति उप-अनुबंध से दो प्रतिशत की दर से डब्ल्यू.सी.टी.⁴ घटा दिया था। ₹40.93 करोड़ के श्रम प्रभारों पर श्रम संविदा कर नहीं घटाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹81.85 लाख के कर की अल्प-वसूली हुई।

निर्धारण प्राधिकारी ने अपने निर्धारण में इस अनियमितता को इंगित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.17 करोड़ का कर कम जमा हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने उत्तर (अगस्त 2017) में कहा था कि मण्डी जिले के व्यापारी ने ₹40.93 करोड़ के श्रम प्रभारों का दावा किया था परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल बिक्री की 25 प्रतिशत दर से ₹35.04 करोड़ के श्रम प्रभारों को उसे अनुमति दी गई थी तथा इसे उप-अनुबंध श्रम के रूप में नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसे व्यापारी द्वारा वास्तविक श्रम व्ययों के रूप में भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी ने निर्धारण अवधि के लिए वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार ₹89.55 करोड़ की राशि के उप-संविदाओं कार्य बिलों को स्वीकार कर लिया था। नियम 38(4) प्रावधान करता है कि कर की कटौती सभी निष्पादित किये गए कार्यों के संदर्भ में किये गए समस्त भुगतानों से कटौती लागू की गई थी तथा इस प्रकार ₹89.55 करोड़ की राशि के उप-संविदाओं कार्य के बिलों पर श्रम संवीदा कर कटौती योग्य था। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.8 किराया प्रभारों की अमान्य कटौती तथा प्रवेश कर का अनुद्ग्रहण

कार्य अनुबंधों के लिए उपभोज्य खरीद की अमान्य कटौती तथा अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹77.58 लाख के राजस्व की हानि हुई।

2.8.1 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की नियमावली का नियम 17(4)(अ) प्रावधान करता है कि एक निर्माण संविदा के निष्पादन में सम्मिलित सामग्री के मूल्य का सम्पूर्ण निर्माण संविदा के मूल्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारण किया जाएगा तथा श्रम एवं सेवाओं में सम्मिलित किराए के लिए प्राप्त किये गए प्रभारों, निर्माण संविदा के निष्पादन के लिए उपयोग मशीनरी और उपकरणों तथा उपभोज्य सामग्री के मूल्य, जैसे कि संविदा के निष्पादन के लिए उपयोग किया गया पानी, बिजली एवं ईंधन, सम्पत्ति जिसको निर्माण संविदा के निष्पादन के दौरान स्थानांतरित नहीं किया गया है, उनमें से कटौती भुगतान के रूप में घटक है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के अभिलेखों की संवीक्षा से सामने आया कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2011-12 के लिए एक व्यापारी का निर्धारण करते हुए हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य कटौती की अनुमति के उपरान्त सकल बिक्री को ₹14.58 करोड़ के रूप में निर्धारित किया। निर्धारण

⁴ कार्य संविदा कर

प्राधिकारी ने मशीनरी और टिपर के भाड़े के प्रभारों के रूप में ₹4.11 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी जो कि वास्तव में 'उपभोज्य खरीद' थे। आगे, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमत की गई ₹91.28 लाख की कटौती में मशीनरी के भाड़े के प्रभार पहले ही से सम्मिलित थे। इसके अलावा, निर्धारण प्राधिकारी ने ईंधन तथा ग्रीस को उपभोज्य खरीद की मर्दे होने के नाते ₹77.78 लाख की कटौती की अनुमति भी दी थी। इस प्रकार, ₹4.11 करोड़ की अमान्य कटौती के परिणामस्वरूप पांच प्रतिशत की न्यूनतम लागू दर पर ₹20.55 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2017) में कहा था कि ₹4.11 करोड़ के मूल्य की अन्य उपभोज्य वस्तुओं की कटौती हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की नियमावली, 2005 के प्रावधानानुसार अनुमत की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹4.11 करोड़ की कटौती की अनुमति मशीनरी और टिपर के भाड़े के प्रभारों के रूप में दी गई थी जोकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमत की गई ₹91.28 लाख की कटौती में पहले ही अनुमत की गई थी तथा इस प्रकार हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की नियमावली, 2005 के अंतर्गत उपभोज्य खरीदों पर पुनः कटौती मान्य नहीं थी।

2.8.2 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (तेगला) की धारा 3(1) में प्रावधान है कि व्यापारी के व्यवसाय के दौरान में अनुसूची-11 में निर्दिष्ट वस्तुओं के प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश तथा उनके उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए राज्य सरकार को एक कर का उद्ग्रहण तथा भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने निर्माण संवीदा के निष्पादन के लिए उपयोग की गई मशीनरी के ईंधन तथा ग्रीस के रूप में ₹77.78 लाख की कटौती की अनुमति दी थी। ईंधन तथा ग्रीस को राज्य के भीतर ही खरीदा गया प्रतिवेदित किया गया था न कि अंतर्राज्यीय के माध्यम से। स्थानीय खरीदों के विवरण की संवीक्षा ने ईंधन/ग्रीस की खरीद को लागू कर दरों अर्थात् 9.60 प्रतिशत के साथ प्रतिबिंबित नहीं किया। इस प्रकार, ईंधन तथा ग्रीस की खरीद अंतर्राज्यीय माध्यम से की गई थी जिस पर ₹9.33 लाख का प्रवेश कर अधिरोपण योग्य था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि व्यापारी ने ₹9.54 करोड़ की राशि के कोलतार की अंतर्राज्यीय खरीद की थी जिस पर भी ₹47.70 लाख का प्रवेश कर अधिरोपण योग्य था। इस प्रकार, ईंधन, ग्रीस तथा कोलतार की ₹10.32 करोड़ की अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹57.03 लाख के राजस्व की हानि हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि कोलतार की अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर लागू नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोलतार करमुक्त वस्तुओं से संबंधित स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की अनुसूची-1 में दर्शाया नहीं गया था तथा इस प्रकार कोलतार की अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर लागू था (दिसम्बर 2017)।

2.9 कार्य अनुबन्धों में श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति

श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति तथा छोटे संविदाकारों के भुगतान के लिए कटौती के परिणामस्वरूप ₹3.46 करोड़ के कर के रूप में अल्पोद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 69(2) में प्रावधान है कि जहां श्रम प्रभार संविदाकारों के कार्यों के लेखा से निर्धारण करने योग्य नहीं हैं अथवा संविदा की प्रकृति के प्रतिफल में अतार्किक रूप से उच्च समझे जाते हैं, तो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पूर्वोक्त नियमों की

तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित संविदा के प्रकार के लिए कॉलम (3) में निर्धारित सीमाओं के अनुसार श्रम प्रभारों के लिए कटौतियों का अनुमोदन दिया जाएगा। उपर्युक्त नियम भवन, पुलों, सड़कों, बांधों, बैरियरों, नहर तथा विचलनों आदि के निर्माण जैसे सिविल कार्यों के अनुबंध के मूल्य के 25 प्रतिशत श्रम प्रभारों के लिए प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के निर्धारण अभिलेखों से पाया कि व्यापारी का व्यापारिक खाता वर्ष 2013-14 के लिए ₹11.31 करोड़ के श्रम भुगतान तथा ₹20.08 करोड़ के प्रत्यक्ष व्यय एवं उपभोग्य की राशि कुल ₹31.39 करोड़ की राशि उदघाटित करता है। इसमें ₹9.50 करोड़ की एक अन्य खरीद भी थी। निर्धारण प्राधिकारी ने अपने निर्धारण आदेश में ₹49.17 करोड़ की सकल बिक्री से ₹31.39 करोड़ के कर-मुक्त श्रम की अनुमति दी थी। इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारी ने नियम 69(2) के प्रावधानों के अनुसार किये गए कार्य के मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से ₹12.29 करोड़ की स्वीकार्य राशि के प्रति ₹31.39 करोड़ के श्रम प्रभारों की अनुमति दी थी। संयोगवश, व्यापारी के व्यापारिक खाता में श्रम प्रभारों की ₹11.31 करोड़ की राशि दर्शाई तथा इस प्रकार श्रम प्रभारों को उस राशि तक सीमित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, निर्धारण प्राधिकारी भूमि कटाव कार्य के लिए छोटे ठेकेदारों के संदर्भ में सकल बिक्री में से ₹10.21 करोड़ की कटौती की अनुमति दी, जो कि व्यापारी के व्यापारिक खाते के अनुसार बिल्कुल प्रतिबिंबित/खर्च नहीं हुआ था। इस प्रकार, व्यापारी को श्रम प्रभारों/छोटे संविदाकारों के लिए कटौती देने के परिणामस्वरूप ₹3.46 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2017) में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छुपाई गई बिक्री के आधार पर किये गए पुनर्निर्धारण आदेश को अग्रेषित किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि ट्रॉफ्ट पैराग्राफ में इसे श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति के रूप में मुख्यतया से दर्शाया गया था तथा बिक्री को छुपाने के रूप में नहीं। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.10 गणना की गलती के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए कर-योग्य सकल बिक्री को लागू दरों पर निर्धारित किया परन्तु ₹2.37 करोड़ की वास्तविक देयता के प्रति ₹1.30 करोड़ के निर्गम कर को विगणन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 6 की अनुसूची 'ए' में प्रावधान है कि व्यापारी द्वारा की गई बिक्री पर कर उदग्राह्य है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह देय कर पर एक मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर से तथा इसके उपरान्त डेढ़ प्रतिशत प्रति मास की दर से चूक जारी रहने तक ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी हो जाता है।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵ के अभिलेखों की दिसम्बर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य की गई संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि कर अवधि 2010-11 से 2013-14 के लिए तीन व्यापारियों की कर-योग्य सकल बिक्री को ₹51.21 करोड़ पर परिकलित किया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के निर्धारणों को (अप्रैल तथा अगस्त 2015 के मध्य) अंतिम रूप देते

⁵ बदी, सोलन तथा ऊना

हुए कर-योग्य सकल बिक्री को लागू दरों पर निर्धारित किया तथा ₹2.37 करोड़ की वास्तविक निर्गम कर देयता के प्रति ₹1.30 करोड़ के निर्गम कर की गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, अल्प कर पर ब्याज भी उपार्जित था।

इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन तथा ऊना ने बताया कि मामलो की समीक्षा करने के उपरान्त अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बदी ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

सरकार तथा विभाग को मामला फरवरी तथा अप्रैल 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

2.11 मनोरंजन शुल्क की अवसूली

आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जिससे कम-से-कम ₹9.93 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में केबल ऑपरेटरों का क्षेत्र के प्रधान डाकघर कार्यालय के मुख्य पोस्टमास्टर के नाम के पंजीकृत प्राधिकारी जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर संबंधित केबल ऑपरेटर का कार्यालय स्थित है, में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम, 1968 की धारा 3 सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई दरों पर मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है जिसको कि मालिक द्वारा एकत्रित किया जाएगा तथा सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1999 'केबल टेलीविजन' तथा 'टेलीविजन प्रदर्शनी' में लाया गया जिसे हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम के दायरे के भीतर परिभाषित किया गया था। टेलीविजन प्रदर्शनी में किसी भी प्रकार के एंटीना की सहायता से एक प्रदर्शनी सम्मिलित है जिसके साथ केबल नेटवर्क जुड़ा हुआ हो।

पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁶ के अभिलेखों तथा जिला लोक संपर्क अधिकारियों से प्राप्त की गई सूचना की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इन जिलों में 36 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे। तथापि, केबल ऑपरेटरों में से कोई भी केबल ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही संवाओं पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे यद्यपि वे मनोरंजन आपूर्ति के लिए अपने उपभोक्ताओं से फीस प्रभारित कर रहे थे। आबकारी एवं कराधान विभाग की मई 2012 की अधिसूचना में प्रावधान है कि सभी प्रकार के मनोरंजनों पर शुल्क प्रवेश के लिए भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत की दर से तत्काल प्रभाव से उद्ग्रहण किया जाएगा। केबल ऑपरेटरों द्वारा अपने ग्राहकों से 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया शुल्क केबल ऑपरेटरों से ₹9.93 करोड़ के राजस्व के उपार्जन का परिणाम होना चाहिए जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:-

⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बदी, कुल्लू, शिमला, सोलन तथा ऊना

तालिका-2.11: केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की अवसूली

(₹में)							
जिले का नाम	केबल ऑपरेटरों की कुल संख्या	केबल कनेक्शन की संख्या	प्रति कनेक्शन दर	भुगतान योग्य मनोरंजन शुल्क की अवधि	महीनों की संख्या	केबल कनेक्शनों से वसूल की गई राशि	10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8
बददी	6	10,400	150 से 260	मई 2012 से मार्च 2016	109	2,52,97,000	25,29,700
कुल्लू	2	11,227	150	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	41	2,73,55,050	27,35,505
शिमला	4	1,57,251	200 से 210	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	96	76,87,96,800	7,68,79,680
सोलन	9	14,285	200 से 270	मई 2012 से मार्च 2016	270	7,77,17,000	77,71,700
ऊना	15	11,995	100 से 200	मई 2015 से मार्च 2016	295	9,34,81,300	93,48,130
योग	36	2,05,158				9,92,64,715	9,92,64,715

सरकार तथा विभाग को मामला जुलाई 2016 तथा मई 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को मनोरंजन शुल्क की वसूली के लिए समस्त केबल ऑपरेटरों को नोटिस जारी किये गए थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

